

17.04.18

आवेदक/अभियुक्त दिलीप सिंह की ओर से प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

प्रकरण आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० पर विचार एवं अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

अभियोजन साक्षी अनुपस्थित।

आवेदक दिलीप सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० के संबंध में निवेदन किया है कि प्रथम नियमित जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक के जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० पर उभयपक्ष को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्त दिलीप सिंह की ओर से निवेदन किया गया है कि आवेदक के विरुद्ध फरियादी पक्ष द्वारा झूठा अपराध पंजीबद्ध किया है, जबकि आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक निर्दोष है तथा उक्त अपराध में उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक 55 वर्षीय वृद्ध होकर बीमार व्यक्ति है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की पूर्ण संभावना है। आवेदक सभी शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर हैं। अतः इन्हीं सब आधारों पर उसे जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपराध को अति गंभीर स्वरूप का होना बताते हुये तथा आवेदक/अभियुक्त दिलीप सिंह को घटना के पश्चात करीब 12 तक निरंतर फरार हो जाना एवं जमानत मिलने पर पुनः फरार हो जाने की संभावना बताते हुये जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदन पर विचार करते हुये संपूर्ण प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिससे दर्शित है कि मृतकगण पहलवान सिंह व दशरथ सिंह की 315 बोर की माउजर बंदूक से गोलिया चलाकर हत्या कारित किये एवं अजब सिंह व भानुप्रताप सिंह की फर्सा व लाठी से मारपीट करते हुये हत्या का प्रयास किये जाने के संबंध में आवेदक/अभियुक्त दिलीप सिंह के विरुद्ध धारा 148, 302 विकल्प में

302/149 तथा 307/149 भा0दं0सं0 के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये हैं, अभियुक्त पर आरोपित अपराध अति गंभीर प्रकृति का है तथा आवेदक/अभियुक्त दिलीप सिंह उक्त गंभीर घटना के पश्चात निरंतर करीब 12 साल तक फरार रहे होने के कारण जमानत मिलने की दशा में उसे पुनः फरार हो जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है तथा जमानत आवेदन के संबंध में इस स्टेज पर गुण-दोष पर विचार नहीं किया जा सकता है।

अतः मामले की गंभीरता सहित संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक दिलीप सिंह को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

शेष अभियोजन साक्षी भानू व दशरथ को जरिये समंस तलब किया जावे तथा अन्य साक्षीगण को अभियोजन पक्ष स्वयं उपस्थित रखे या नियमानुसार तलब करावे।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 28.04.2018 को पेश हो।

(सतीश कुमार गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड